

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वि० आ०-सा० नि०) अनुभाग-7
संख्या: /XXVII(7)/18-50(14)/2017
देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-718/648/XX-1/10-174/02 दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए.टी.एस.) के नियमित कार्मिकों को स्वीकृत जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रु० 12500/- प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।
- उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या: 22 (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तददिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
- सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

1. T
Upload करें.

216

24.1.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिसासी अभियन्ता